न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 210 / 2024

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

जितेन्द्र कुमार पुत्र सुनील कुमार जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– **वादी**

बनाम्

1. बाधू देवी पत्नी रामस्वरूप
2. सुनील कुमार पुत्र रामस्वरूप
3. पूनम पुत्री सुनील कुमार
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

} समस्त जाति जाट साकिनान किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सन्तोष कुमार सोलंकी –वकील वादी
2. श्री राधेश्याम झोरड़–वकील प्रति.सं. 1ता3

निर्णय **दिनांक :–** 13.8.24

वादी जितेन्द्र कुमार ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्व यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 20.05.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा संयुक्त परिवार की प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 70 / 58 जं.सं. 2073–76 में कुल 2.530 है. में से 1 / 3 हिस्सा प्रत्येक व इसी चक के खाता सं. 71 / 50 में 3.619 है. में 1 / 3 हिस्सा प्रत्येक प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 13 पी.टी.पी. खाता नं. 80 / 93 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में कुल खाता 2.277 है. में 127 / 6831 हिस्सा यानि 0.0423 है. प्रत्येक प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की विरासतन कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1ता 3 का संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ही पारिवारिक सौहार्द बनाये रखने एवं आपसी रजामन्दी से वादी को प्राप्त चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 70 / 58 जं.सं. 2073–76 में कुल 2.530 है. में से 1.6866 है. व इसी चक 15 पी.टी.पी. के खाता सं. 71 / 50 में 3.619 है. में से 2.4126 है. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 13 पी.टी.पी. खाता नं. 80 / 93 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में कुल खाता 2.277 है. में से 0.0846 है. कृषि भूमि प्रतिवादी [illegible] 2 के नाम उक्त समस्त खातो में दर्ज कृषि भूमि वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त [illegible] थी [illegible] का राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपने नाम से अंकन करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है [illegible] वादी सं. 3 अपना हिस्सा नही रखना चाहती है इसलिए प्रति.सं. 3 ने अपना समस्त [illegible] वादी के हक में बिना कोई प्रतिफल लिये परित्याग कर दिया है। प्रतिवादी [illegible] वादी की दादी एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 वादी की सगी बहिन है। वाद की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच अच्छी मंदी के हिसाब से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अर्सा दराज पूर्व घरा घरू बंटवारा हो चुका है तथा घरा घरू बंटवारा में वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है तथा बंटवारा के रोज से ही वादी की कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नही है। घरा घरू बंटवारा के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि अन्य चकों में प्राप्त कर ली व जिसकी ऐवज में वादी को उक्त वर्णित खातों की कृषि भूमि वादी के हक में छोड़ दी थी। इसलिए वादी उक्त वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का नाम कलमजन करवाकर स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का एवं खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का दावेदार एवं अधिकारी है। वाद की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी का अर्सा दराज पूर्व घरा घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। वादी बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा वादी यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार वादी को चक 13 पी.टी.पी. व चक नं. 15 पी. टी.पी. की कुल 4.182 है. का खातेदार काश्तकार मान लेवे व मुताबिक कब्जा काश्त व घरा घरू बंटवारा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा देवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले टालमटोल करते रहे एवं पिछले सप्ताह ऐसा करने से कत्तई इन्कार हो गये। यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 70/58 चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 71/50 व इसी चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 80/93 जं.सं. 2073–76 EX-1 प्रदर्श हुए। साक्ष्य वादी में वादी जितेन्द्र कुमार ने शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि विरासतन है। वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 70/58 चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 71/50 व इसी चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 80/93 जं.सं. 2073–76 प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज है जो कि वादी की दादी/पिता है। वाद में वर्णित आराजी विरासतन आराजी है। उक्त आराजी में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का राजीनामा पेश हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है।

वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री कि[illegible] है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया [illegible] संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक नं. 15 पी. टी.पी. खाता सं. 70/58 जं.सं. 2073–76 में कुल 2.530 है. में से 1.6866 है. व इसी चक 15 पी.टी.पी. के खाता सं. 71/50 में 3.619 है. में 2.4126 है. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम

Signature Not Verifi
Digitally signed by Rake
Meena
Date: 2024.09.07 12:37:
Reason: SelfAttested

महायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 13 पी.टी.पी. खाता नं. 80/93 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में कुल खाता 2.277 है. में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 0.0846 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 210 / 2024

जितेन्द्र कुमार पुत्र सुनील कुमार जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. बाधू देवी पत्नी रामस्वरूप
2. सुनील कुमार पुत्र रामस्वरूप
3. पूनम पुत्री सुनील कुमार

} समस्त जाति जाट साकिनान किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 13.8.24.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संतोष कुमार सोलंकी अभिभाषक वादी मिन जामिन मुदई व श्री राधेश्याम झोरड़ अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मुताबिक राजीनामा यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक नं. 15 पी.टी.पी. खाता सं. 70 / 58 ज.सं. 2073–76 में कुल 2.530 है. में से 1.6866 है. व इसी चक 15 पी.टी.पी. के खाता सं. 71 / 50 में 3.619 है. में 2.4126 है. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 13 पी.टी.पी. खाता नं. 80 / 93 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में कुल खाता 2.277 है. में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 0.0846 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

खर्चा मुकदमें के मय निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत ....X.... निल ....X....

शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ... जारी किया

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.8.24 ... गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:06 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया